

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
::मंत्रालय::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002
कमांक एफ 1-2/2020/1-5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/06/2021
प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर
समस्त संभागायुक्त, छ.ग.
समस्त विभागाध्यक्ष, छ.ग.
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषय:- शासकीय कार्यालयों के संचालन के विषय में दिशा-निर्देश।

-00-

कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूर्व में मंत्रालय/विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे। साथ ही आम जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था।

कोविड-19 के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु मंत्रालय/विभागाध्यक्ष एवं जिला कार्यालयों के संचालन हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं:-

1. सभी कार्यालयों में दिनांक 14/06/2021 (दिन=सोमवार) से सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
2. आम जनता के प्रवेश को कोविड-19 के लिए निर्धारित निर्देशों के पालन की शर्त पर शिथिल किया जाता है।
3. सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय-समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे।

(संजय अग्रवाल)

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ०क. एफ 1-2/2020/1-5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11/06/2021
प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन, रायपुर,
 2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 3. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर,
 4. शासन के विभिन्न विभाग द्वारा गठित समस्त निगम/मंडल/आयोग/सहाकारी संस्था आदि
 5. निज सचिव/निज सहायक/मान०मुख्यमंत्री/मंत्री/संसदीय सचिव गण, छत्तीसगढ़
 6. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 7. अवर सचिव, छ.ग.शासन (अधीक्षण शाखा),सा०प्र०विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 8. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
11/06/21